न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-649RAAJodhpur2025-325RTA225 Himmataram Vs Sanjay Agrawal etc

हिम्मताराम पुत्र श्री टीलाराम जाति घांची, निवासी–नन्दवान तहसील लुणी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. संजय अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द गुप्ता जाति अग्रवाल, निवासी–2/570 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर।

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र सं 54/2025 (2025/146) अनवान संजय अग्रवाल बनाम हिम्मताराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री अनिल राठी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 22 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2025 अनवान संजय अग्रवाल बनाम हिम्मताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 775/751 रकबा 3.2675 हैक्टेयर ग्राम नन्दवान तहसील लूणी में आवागमन हेतु अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 636/544 रकबा 2.0922 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपने खातेदारी खसरा संख्या 775/751 में आने जाने हेतु पूर्व में मूल खातेदार द्वारा परापरी से ही खसरा संख्या 553 व 554 में बनी हुई ढाणीया तक आये हुए रास्ते का उपयोग करते हुए ख़सरा संख्या 775/551 में आते थे। जब रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त खसरे को खरीद किया गया, तब से लेकर आज दिन तक इसी रास्ते का उपयोग यानि ढाणीया तक आये रास्ते में आगे खसरा संख्या 775/551 में आते है। अपीलांट के खेत में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है। अपीलान्ट के खातेदारी खसरा संख्या 636/744 रकबा 2.0922 हैक्टेयर, जिसकी चौडाई मात्र 200 फीट है और 900 फीट लम्बाई है, अगर 200 फीट मे से 30 फीट का रास्ता कटाण कर दिया जाता है तो अपीलान्ट के पास पीछे क्या बचेगा, इस तथ्य को बिना ध्यान दिये एवं मौका रिपोर्ट में जहां अपीलाधीन रास्ता कटाण किया गया, वहां पर दो खेंजडी के पेड का हवाला दिया गया। दोनो खेजडी के पेड़ कणा व माठ से 5–6 फीट पूर्व है। उक्त पेड़ों को हटाये बिना रास्ता निकालना संभव नही है। अगर उक्त पेड़ो को हटाकर रास्ता निकाला जाता है तो अपीलान्ट का आधा खेत खराब हो जायेगा। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से यह निवेदन किया कि दूसरी माठ जो खसरा संख्या 635/544 से लगती है, वहां से 15 फीट चौडाई में रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा संख्या 775/551 तक कटाण किया जावे ताकि वर्षों पुराने कीमती पेड तथा अपीलान्ट का खेत कम खराब होगा। इस तथ्य को बिना ध्यान दिये सीधा ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा की गई मांग अनुसार 30 फीट चौडाई मे रास्ता कटाण कर दिया गया जो विधि विरूद्ध एवं एक अभिलिखित काश्तकार के हक व अधिकार के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा जहां से रास्ता देना स्वीकार किया गया है, वहां से खसरा संख्या 551 के मूल खातेदार का खेत खसरा संख्या 772/551 भी रास्ते से जुड़ जायेगा तथा अपीलांट की भूमि रास्ते के रूप में व्यर्थ कम होगी। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपीलांट के उक्त कथनों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पत्रावली पर उलपब्ध तथ्यों एवं अपीलांट की स्वीकृति के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट द्वारा अपील मे प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार अपीलान्ट के खेत खसरा संख्या 636/544 की जो सीमा खसरा संख्या 636/544 से लगती है, उस सीमा पर अपीलान्ट के खेत के भीतर भीतर 15 फीट चौडा रास्ता रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा खसरा 775/751 की सीमा तक कटाण किया जावे तथा जो 30 फीट नया रास्ता कटाण किया उसको निरस्त फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। अपीलांट द्वारा दिये जाने वाले रास्ते की चौड़ाई भी अपीलाधीन रास्ते के समान ही है। अपीलांट द्वारा रास्ता नहीं दिये जाने की नियत से अपने खेत की दूसरी दिशा से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने के कथन किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–ए की मंशा अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.08.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नंबर 775/551 में आवागमन हेतु मौके पर रास्ते तीन विकल्प बताये गये है, जिसमें से अपीलार्थी के खेत खसरा नंबर 636/544 में से मार्क ए से बी लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट उज्र है कि वह अपने खेत की दूसरी माठ के सहारे रास्ता देने हेतु सहमत है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट के खेत की दूसरी माठ की दूरी अपीलाधीन रास्ते की बजाय अधिक प्रतीत होती है तथा कॉर्नर में मोड़ भी संभावित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2025 अनवान संजय अग्रवाल बनाम हिम्मताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर